



न्यायालय माननीय राजस्व भण्डल मध्य पुदेश अ. १९५८

पुक्करणात्रमात्रा २०१६ निगरानी

AJ-3098-216

की द्वारा आज २८.८.२१६ को
प्रस्तुत
राजस्व भण्डल मध्य पुदेश

झय सिंह पुत्र कमलेश सिंह रघुवीर आयु 30
साल व्यक्ताय - कृषि निवासी - ग्राम नौदाई
तहसील बासीदा, जिला विदिशा ₹ ३० प्र०
-- निगरानीकर्ता

बनाम

- ✓ १- श्रीमती रामा बाई पत्ती रघुवीर सिंह
- २- श्रीकात उर्फ अभिषेक पुत्र नामालूम आयु 24
वर्ष,
- ३- कमलेश सिंह व्यस्क पुत्र अमान सिंह
- ४- शंभू सिंह पुत्र अमान सिंह व्यस्क
- ५- हनुमंत सिंह पुत्र अमान सिंह,
- ६- राजाराम पुत्र भगवान सिंह
- ७- कपिल कुमार पुत्र नक्कल सिंह
- ८- अतुल कुमारपुत्र नक्कल सिंह
- ९- अमर सिंह व्यस्क
- १०- निरंजन सिंह व्यस्क
- ११- नरेन्द्र सिंह पुत्र छण छुमान सिंह
- १२- कर्णा बाई पुत्री छुमान सिंह समस्त
निवासीगण ग्राम नौदाई तहसील बासीदा
जिला विदिशा। -- रेस्पोडे न्याय

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्य० भू - राजस्व सहिता १९५९

विरुद्ध आदेश दिनांक २९.८.२०१६ पारित न्यायालय तहसीलदा

बासीदा २८ पु.क्र.२७/अ-६/१४-१५ रु.३० रमाबाई बनाम कमलेश सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3098-एक/16

जिला - विदिशा

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
१९-२-१०	<p>आवेदक की ओर से, यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २४-४-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	